न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 80/2009

श्रीमती बालकंवर बेवा स्व0 भंवर सिंह जाति राजपूत निवीस अंथडा तहसील व जिला बून्दी।

बनाम

1. रामभरोस आत्मज श्री नानजी राम जाति धाकड निवासी ग्राम अंथडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. महावीर आत्मज स्व0 रामभरोस जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   1/2. धनराज आत्मज स्व0 रामभरोस जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   1/3. देवराज आत्मज स्व0 रामभरोस जाति धाकड निवासी अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
   1/4. निहाल बाई पुत्री स्व0 रामभरोस पत्नी महावीर जाति धाकड निवासी अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
2. सत्यनारायण आत्मज श्री नान जी राम जाति धाकड निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. देवप्रकाश आत्मज स्व0 सत्यनानारायण जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   2/2. चन्द्रप्रकाश आत्मज स्व0 सत्यनानारायण जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   2/3. कन्हैया लाल आत्मज स्व0 सत्यनानारायण जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   2/4. सुमनलता पुत्री स्व0 सत्यनारायण पत्नी विजय नागर जाति धाकड निवासी अंथडा हाल निवासी हापाहेडी तहसील अन्ता जिला बारां ।
   2/5. कान्ति बाई पत्नी स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड निवासी अंथडा हाल निवासी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. श्रीमती नन्दकंवर पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
4. सुश्री मांगी बाई पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
5. कुशाल सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
6. शिव सिंह पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2002 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण (मृतक) रामभरोस एवं सत्यनारायण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अंथडा तहसील बून्दी में खसरा नम्बर 1107 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी के पिता श्री रणजीत सिंह के खाते में अंकित हो रही है और इस भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के नाम इस भूमि मूर्तहीन बिल कब्ज के रूप में अंकित है । उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी के पूर्वज श्री औंकार सिंह आत्मज लाल सिंह के खाते में अंकित थी। औंकार सिंह ने उक्त भूमि संवत् 1984 में स्वर्गीय धूली लाल व मगन लाल पिसरान भवाना के पास उनके 539/– रूपये कर्ज लेकर रहन बिल कब्ज कर दिया था । राहिन एवं मूर्तहीन के दरमियान यह तय हुआ था कि मूर्तहीन रहन की रकम की कोई ब्याज राहिन से नहीं लेगे एवं राहिन रहन की हुई भूमि का कोई जुवारा मूर्तहीन से नहीं लेंगे यानि रहन की रकम का ब्याज एवं रहन की हुई भूमि का जुवारा बराबर–बराबर होगा । सवत् 1984 से उक्त भूमि पर वादीगण के पिता एवं उनके भाई काबिज रहे और उनके देहान्त के बाद वादीगण उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । उक्त भूमि को रहन छुडाने की मियाद समाप्त हो चुकी है । भूमि को रहन से मुक्त कराये जाने का दावा भी अब दायर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा दावा मियाद बाहर होगा । उक्त भूमि से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण को संयुक्त रूप से बराबर–बराबर से खातेदार दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2002 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.05.2002 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 भंवर सिंह की विधवा श्रीमती बालकंवर ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी भंवर सिंह का देहान्त दिनांक 18.07.1990 को ही हो चुका था जिसकी पूरी जानकारी स्वयं वादीगण को थी और उनके द्वारा समय पर कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया एवं सम्पूर्ण दावा विधि की दृष्टि से अबेट हो चुका था। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में नो – इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया तो अपीलान्ट को कोई भी नोटिस इस सम्बन्ध में नहीं भिजवाये गये और प्रकरण का निस्तारण एकतरफा कार्यवाही करते हुए कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । भूमि को रहन मुक्त कराने के लिए कोई मियाद तय नहीं थी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई भूमि एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही रहन, बिल कब्ज चली आ रही है तो इन प्रावधानों के प्रभावी होने की तरीख से 05 साल के अन्दर बिना किसी राशि का भुगतान किये ऐसी भूमि को रहन मुक्त मान लिया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2005 निरस्त फरमाया जावे ।

अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया है । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की बिना पढी–लिखी महिला है जो अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने पीहर मन्दसौर (मध्यप्रदेश) जाकर रहने लग गई थी । प्रार्थिया जब 16–17 साल बाद बच्चों के बडे होने के बाद अपने ग्राम आई तो उसे उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 21.07.2009 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा का पेश किया था और यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में भंवर सिंह के खाते में थी और वादीगण का नाम मुर्तहीन बिल कब्ज दर्ज है । आराजी पूर्व में प्रतिवादी भंवर सिंह के पिता रणजीत सिंह के खाते अंकित हो रही है और यह आराजी संवत् 1984 में धूली व मगनलाल पिसरान भवानरा जी धाकड के पास 539/– रूपये कर्ज लेकर रहन बिल कब्ज कर दी । वादीगण मूर्तहीन के उत्तराधिकारी हैं । आराजी पर सवत् 1984 से वादीगण के पिता एवं वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रहन मुक्त का दावा नहीं किया गया था, रहन की मियाद समाप्त हो चुकी है । प्रतिवादी के समप्त अधिकार समाप्त हो चुके हैं । अतः दावा वादी डिक्री किया जावे । दौरोने दावा प्रतिवादी भंवर सिंह का निधन हो गया और उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया । दिनांक 28.10.1996 को जवाबदावा प्रस्तुत होना बताया गया है जिसमें सभी तथ्यों को अस्वीकार किया गया है । इसके बाद प्रतिवादीगण की ओर अभिभाषक द्वारा No Instruction प्लीड किया गया और एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । भंवर सिंह की मृत्यु दिनांक 18.07.1990 को हो गई, आदेश 22 नियम 04 सपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.1993 को पेश किया गया था जबकि वादीगण उसी गॉव में निवास करते हैं उनको भंवर सिंह की मृत्यु की जानकारी थी फिर भी समय पर प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है इस कारण दावा अबेट होने योग्य था । वादिनी भंवर सिंह की मृत्यु के बाद ग्राम अंथडा छोडकर ग्राम रामखेडी जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) चली गई जहॉ अपीलान्ट के भाई व अन्य परिजन रहते हैं । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की बिना पढी–लिखी महिला है उसे इस मुकदमे की कभी कोई जानकारी नहीं थी न ही वह कभी बून्दी न्यायालय में उपस्थित हुई और न ही उसने मुकदमे के सम्बन्ध में कोई कागजात हस्ताक्षरित किये । अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से No Instruction प्लीड गया तो अपीलान्ट को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किये गये और एक तरफा कार्यवाही की गई जो विधि–विरूद्ध है । नानजीराम का नाम मुर्तहीन बिल कब्ज रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था । नानजीराम कभी भी मूर्तहीन बिल कब्ज दर्ज नहीं रहे हैं । जब तक वादीगण धूली लाल एवं मगन लाल के वारिस होने की घोषणा नहीं करा लेते तब तक उनको विधिक रूप से मूर्तहीन नहीं माना जा सकता । भूमि को रहन से मुक्त कराने की कोई मियाद तय नहीं थी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने के पश्चात् भूमि स्वतः ही रहन मुक्त हो चुकी है । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिला है जो अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पहीर जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) चली गई थी इस कारण विलम्ब का

खारिज किया जावे और अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2002 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया सिविल अपील 5198 दिनांक 21.08.2014, डब्ल्यूएलसी 2002 (4) पेज 455, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक का निर्णय WA No. 8769 0f 2012 Decided on 21-08-2015 एआईआर 2014 (एससी) एससीडब्ल्यू पेज 4854, डीएनजे 2017 (एससी) पेज 928 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रारम्भिक आपत्ति यह की थी कि चूँकि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है इसलिए सर्वप्रथम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जावे । उन्होंने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा जो दावा पेश किया गया था उसमें प्रतिवादी भंवर सिंह की मृत्यु हो जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.04.1994 को उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया गया था । कायममुकामान की ओर से जवाबदावा भी पेश किया गया था जो पत्रावली में शामिल है । इसके उपरान्त प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 15.04.2002 को एक तरफा कार्यवाही की गई और निर्णय दिनांक 31.05.2002 को पारित किया गया है । अपील सन् 2009 में पेश की गई है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । 07 वर्ष तक प्रतिवादी ने अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं किया जबकि पक्षकार को स्वयं अपने अभिभाषक से सम्पर्क में रहना चाहिए था । जवाब पेश करने के बाद अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 3, 4, 5 व 6 ने जानबूझकर न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी जबकि उनका दायित्व था कि अपने अभिभाषक से प्रकरण की जानकारी लेते । अगर कोई पक्षकार इसमें लापरवाही बरतता है तो वह विलम्ब का शमन करने का उचित कारण नहीं है । यदि अपील अवधि मध्य पेश नहीं की जाती है तो धारा 41 सीपीसी के अनुसार अपीलीय न्यायालय को पहले धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र निर्णय पारित किया जाना इसके उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर बहस सुननी चाहिए । धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये हैं वो असत्य हैं । अपीलान्ट ने स्वयं रेस्पोडेन्टगण क्रम 3, 4, 5 व 6 का निवास अंथडा में बताया है । अपीलान्ट ने अपील के पैरा नम्बर 03 में गलत तथ्यों का अंकन किया है । अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 3, 4, 5 व 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में अभिभाषक नियुक्त किया है और जवाब पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट क्रम 03 लगायत 06 के खिलाफ संयुक्त रूप से निर्णय पारित किया है । अपील केवल श्रीमती बालकंवर ने पेश की है अन्य व्यक्ति जिनके खिलाफ निर्णय पारित हुआ है उनकी ओर से अपील पेश नहीं की गई है । डिक्री संयुक्त रूप से जारी हुई है जिसके टुकडे नहीं हो सकते । रेस्पोडेन्ट क्रम 03 से 06 की ओर से अपील नहीं होने के कारण उनके खिलाफ यह निर्णय अंतिम हो चुका है । इस आधार पर भी अपील खारिज होने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2002 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2017 (3) पेज 1054, डीएनजे 2019 पेज 47, आरआरडी 2011 (2) पेज 786, डीएनजे 2016 (2) पेज 920, आरआरडी 2008 पेज 322, आरआरटी 2015 (1) पेज 168, आरआरटी 2015 (2) पेज 1089, आरआरटी 2012 (2) पेज 1299, आरआरटी 2017 (1) पेज 117ख आरआरटी 2012 (2) पेज 1177, आरआरडी 2012 पेज 742, आरआरडी 2011 पेज 228, डीएनजे 2019 (3) पेज 1252 उद्धरत की ।

पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस का मनन किया । विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया कि सर्वप्रथम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे और उन्होनें अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2011 (2) पेज 786, डीएनजे 2016 (2) पेज 920, आरआरडी 2008 पेज 322, आरआरटी 2015 (1) पेज 168, आरआरटी 2015 (2) पेज 1089 उद्धरत की । डीएनजे 2016 (2) पेज 920 में माननीय उच्च न्यायालय (राजस्थान) के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि मियाद के बिन्दु को प्रारम्भिक रूप से तय किया जावे । इसी प्रकार आरआरडी 2008 पेज 322, आरआरडी 2011 (2) पेज 786 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अपील अवधि बाधित है तो सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय किया जावे । आरआरटी 2015 (2) पेज 1089 में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय किया जावे । इन समस्त नजीरों की रोशनी में हम सर्वप्रथम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते हैं ।

11. अपील के साथ अपीलान्ट के द्वारा धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसके अवलोकन किया । अपीलान्ट के द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि दिनांक 31.05.2002 को एक तरफा निर्णय पारित किया गया था । प्रार्थिया बिना पढी – लिखी ग्रामीण महिला है एवं पति भंवर सिंह का निधन हो जाने के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने पीहर में मन्दसौर (मध्यप्रेदश) जाकर रहने लग गई थी । प्रार्थिया जब 16–17 साल बाद बच्चें के बडे होने के बाद अपने ग्राम अंथडा आई तो उसके ज्ञात हुआ कि उसकी पैतृक सम्पतित रामभरोस व सत्यनारायण ने अपने नाम करवा ली है । अभिभाषक को नियुक्त कर निर्णय की जानकारी दिनांक 02.07.2009 को होने पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है ।

12. अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वकील साहब को नियुक्त कर जवाबदावा पेश किया गया है । दिनांक 18.01.2001 की आदेशिका के अनुसार वकील प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं इस कारण साक्ष्य बन्द की जाती है और पत्रावली बहस में नियत की गई है । दिनांक 15.04.2002 को प्रतिवादी के अभिभाषक के द्वारा No Instruction प्लीड किया गया था और अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा बहस सुनकर दिनांक 31.05.2002 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । दिनांक 15.04.2002 के उपरान्त अपीलान्ट के द्वारा अपने अभिभाषक से 07 वर्ष से कोई सम्पर्क नहीं किया गया जो तार्किंत एवं उचित प्रतीत नहीं होता है । अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि वो ग्राम अंथडा को छोडकर मध्यप्रदेश चली गई थी परन्तु इसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । विद्धान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर डीएनजे 2017 (3) पेज 1054 यहॉ चस्पा होती है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने यह होल्ड किया है कि A litigant should be vigilant enough and should keep himself informed about the proceeding. डीएनजे 2019 (1) (राज0) पेज 47 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने यह होल्ड किया है कि पक्षकारान का कर्तव्य है कि वह अपने वकील साहब से सम्पर्क में रहे, मामले में नियमित सूचना प्राप्त करें । अपीलान्ट ने अपने वकील से सम्पर्क नहीं किया जो विलम्ब के शमन के लिए उचित कारण नहीं है ।

विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीर आरआरटी 2012 (1) पेज 1177 भी यहाँ चस्पा होती है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने यह माना गया है कि विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताने की स्थिति में विलम्ब का शमन नहीं किया जाना चाहिए । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में जो नजीर उद्धरत की गई हैं, डब्ल्यूएलएन 2000 (4) पेज 455 एवं डीएनजे 2017 (एससी) पेज 928 चहाँ चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि विलम्ब का शमन के लिए समुचित कारण अपीलान्ट के द्वारा नहीं बताये गये हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2002 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 80/2009

श्रीमती बालकंवर बेवा स्व0 भंवर सिंह जाति राजपूत निवीस अंथडा तहसील व जिला बून्दी।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामभरोस आत्मज श्री नानजी राम जाति धाकड निवासी ग्राम अंथडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. महावीर आत्मज स्व0 रामभरोस जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   1/2. धनराज आत्मज स्व0 रामभरोस जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   1/3. देवराज आत्मज स्व0 रामभरोस जाति धाकड निवासी अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
   1/4. निहाल बाई पुत्री स्व0 रामभरोस पत्नी महावीर जाति धाकड निवासी अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
2. सत्यनारायण आत्मज श्री नान जी राम जाति धाकड निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. देवप्रकाश आत्मज स्व0 सत्यनानारायण जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   2/2. चन्द्रप्रकाश आत्मज स्व0 सत्यनानारायण जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   2/3. कन्हैया लाल आत्मज स्व0 सत्यनानारायण जाति धाकड निवासी अंथडा ।
   2/4. सुमनलता पुत्री स्व0 सत्यनारायण पत्नी विजय नागर जाति धाकड निवासी अंथडा हाल निवासी हापाहेडी तहसील अन्ता जिला बारां ।
   2/5. कान्ति बाई पत्नी स्व0 सत्यनारायण जाति धाकड निवासी अंथडा हाल निवासी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. श्रीमती नन्दकंवर पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी
4. सुश्री मांगी बाई पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
5. कुशाल सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।
6. शिव सिंह पुत्री भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

[illegible] आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक **31.05.2002 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर** (एस0डी0ओ0) बून्दी जिला बून्दी ।

[illegible] 254/दावा/2000

1. [illegible] आत्मज श्री नानजी राम जाति धाकड निवासी ग्राम अंथडा जिला बून्दी ।
2. सत्यनारायण आत्मज श्री नान जी राम जाति धाकड निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।

––वादी

बनाम

श्री भंवर सिंह आत्मज श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अंथडा तहसील व जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2002 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 06.12.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री प्रकाश चन्द भण्डारी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2002 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 06.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

6/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा